न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4562—दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 29—10—2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 188/अपील/2012—13.

....

रतन पिता गलिया सिंगाड
निवासी ग्राम मदुडीपाडा
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ ....आवेदक

विरूद्ध

1— रमेश पिता श्यामा गरवाल
निवासी बोडायता
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

2— नाथू पिता सामत्या गणवा
निवासी करमदीखेडा
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

3— विष्णु पिता पूंजा भूरिया
निवासी बोडायता
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

4— रामचन्द्र पिता नारसिंह नेहरता
निवासी रूपापाडा
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

5— सरपंच ग्राम पंचायत बोडायता तेरसिंह
निवासी बोडायता
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

6— सचिव, ग्राम पंचायत बोडायता
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

7— जनपद सरपंच
निवासी ग्राम नारहपुरा बोडायता
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ ....अनावेदकगण

....

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.एन. फड़के, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1
अनावेदक कमांक 2 से 7 तक — एकपक्षीय

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/07/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, झाबुआ के कार्यालयीन पत्र कमांक 3046–97/भू.अभिलेख/रा.नि.का./2011 दिनांक 17–10–2011 के पालन में नायब तहसीलदार, उप तहसील सारंगी, जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ–56/2011–12 दर्ज किया जाकर ग्राम बोडायता के रिक्त कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया । उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात 6 उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए । तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 12–7–2012 को आदेश पारित कर आवेदक की कोटवार पद पर अस्थायी नियुक्ति की गई । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–1–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया एवं अनावेदक कमांक 1 को ग्राम बोडायता के रिक्त कोटवार पर पर नियुक्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–10–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 230 (4) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को मान्य करने अथवा अमान्य करने का अधिकार तहसील न्यायालय को है । यह भी कहा गया कि

तहसील न्यायालय द्वारा कोटवार पद पर अस्थायी नियुक्ति की गई है, और स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 49 (3) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को कोटवार पर नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत तहसीलदार को प्राप्त है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है, तब अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में तो ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव ही नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुअि की गई है। उनके द्वारा कोटवार की नियुक्ति हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा स्थायी कोटवार की नियुक्ति हेतु पत्र जारी किया गया थाा, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा कोटवार पद पर अस्थायी नियुक्ति करने में कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की नियुक्ति ग्राम पंचायत के जिस प्रस्ताव के आधार पर की गई है, उस पर ग्राम पंचायत के पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं है, तब अधिक योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति की जायेगी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 को नियुक्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के अधिकारों का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि संहिता की धारा 49 (3) के अन्तर्गत प्रकरण का अन्तिम रूप से निराकरण करते हुए अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 लगायत 7 के सूचना उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया है । उद्घोषणा पश्चात् 6 व्यक्तियों के आवेदन पत्र अस्थायी कोटवार हेतु प्राप्त हुये हैं । तहसीलदार के समक्ष ग्राम सरपंच द्वारा तहसीलदार पेटलवाद को लिखा गया पत्र संलग्न है, जिसमें आवेदक रतन को ग्राम सभा के ठहराव एवं प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति करने संबंधी अनुरोध किया गया है, तत्पश्चात् सरपंच द्वारा एक दूसरा पत्र तहसीलदार को प्रेषित किया गया है जिसमें इस आशय का उल्लेख करते हुये कि ग्राम पंचायत की बैठक में किसी के ऊपर सहमति नहीं बनी, अतः इस पद हेतु चयन के लिये मतदान कराया जाये, तहसीलदार से मार्गदर्शन चाहा गया है । तहसीलदार द्वारा सरपंच के पूर्व पत्र को मान्यता देते हुये आवेदक की नियुक्ति अस्थायी कोटवार के पद पर की गई, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–1–2013 को तहसीलदार का आदेश इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक द्वारा फर्जी तौर पर आवेदन पत्र तैयार कर उस पर पंच एवं अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर कर न्यायालय में पेश किया है, पंचों द्वारा अपने शपथपत्र में यह स्पष्ट किया गया है । इस संबंध में तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न ग्राम सरपंच के पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उसमें ग्राम सरपंच के हस्ताक्षर है साथ ही जनपद सदस्य नाथी के हस्ताक्षर है, जिसकी पुष्टि नाथी द्वारा प्रस्तुत इस आशय के शपथपत्र से होती है कि आवेदक द्वारा कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर करा लिये गये, तथा ग्राम सरपंच तेजसिंह द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने से होती है कि उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । कोरे कागज पर जनपद सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करने के लिये आवेदक को उत्तरदायी

नहीं ठहराया जा सकता है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम सरपंच के पत्र को फर्जी ठहराना अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त यह विचारणीय प्रश्न है कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था तब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण करना था परन्तु उनके द्वारा सीधे अनावेदक क्रमांक 1 रमेश की नियुक्ति करने में विधि की गम्भीर भूल की गई है । यहाँ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की नियुक्ति अस्थायी कोटवार के पद पर की गई है । 2001 आरएन 283 निरंजन तथा एक अन्य विरूद्ध महेश कुमार तथा एक अन्य में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तहसीलदार को अस्थायी कोटवार की नियुक्ति करने का अधिकार है और तहसीलदार द्वारा कोटवार के पद पर की गई नियुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है और उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–13 एवं अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–1–13 अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाते हैं । तहसील न्यायालय, सारंगी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–7–12 न्यायसंगत एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर